COURT FEE कोर्ट फी 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE कोर्ट फी 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

-1-

289

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 निग-3411-I-16 / जिला-सिवनी

मूलचंद पिता रामप्रसाद जाति गौंड
निवासी भोमा सिवनी
तहसील व जिला सिवनी ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

Presented before me by Shri Pruthviraj, Salunkhe Adv. Member 2/9/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 16/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के नाम से ग्राम खुरसीपार प.ह.नं. 50 रा.नि. मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 245 एवं 256 रकबा क्रमशः 1.24, 0.64 कुल रकबा 1.88 हैक्टर स्थित है । आवेदक शासकीय नौकरी में होने से भूमि की देख रेख नहीं कर पाता है । उसकी पत्नी को कैंसर होने से उसका देहांत हो गया है, और उसके इलाज में काफी पैसा व्यय हुआ जो उसने अन्य व्यक्तियों से उधार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3411–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 09–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन कलेक्टर, सिवनी के समक्ष पेश किया गया कि ग्राम खुरसीपार प.ह.नं. 50 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 245 एवं 256 रकबा कमशः 1.24, 0.64 कुल रकबा 1.88 हैक्टर स्थित है । आवेदक शासकीय नौकरी में होने से भूमि की देख रेख नहीं कर पाता है । उसकी पत्नी को कैंसर होने से उसका देहांत हो गया है, और उसके इलाज में काफी पैसा व्यय हुआ जो उसने अन्य व्यक्तियों से उधार लिया था इस कारण आवेदक उक्त भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय करना चाहता है अतः उसे उक्त भूमि विकय करने की अनुमति दी जाये । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा आवेदकों के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके स्वामित्व की होकर पैत्रिक भूमि है शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । आवेदक शासकीय सेवा में होने से भ्झूमि की देखरेख नहीं कर पाता है । उसकी पत्नि कैंसर से पीड़ित थी जिसका देहांत हो गया है, इलाज हेतु उसके द्वारा लिए गए ऋण को वापिस करना है । आवेदक का जीवन यापन का साधन शासकीय सेवा से मिलने वाला वेतन है । जिलाध्यक्ष ने तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । कलेक्टर ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं आवेदक का पक्ष सुने आवेदन निरस्त कर दिया है । जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के भूमिस्वामित्व की पैत्रिक भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक आदिम जनजाति के सदस्य हैं इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के तहत भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3411–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकयसे आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि आवेदक शासकीय सेवा में है और बाहर नौकरी करता है । उसके जीवनयापन का मुख्य साधन शासकीय सेवा से प्राप्त होने वाला वेतन है । तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि भूमि विकय में आवेदक पर कोई दबाव नहीं है प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण वास्तविक है । उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदक को आवेदित भूमि के विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–08–16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम खुरसीपार प.ह.नं. 50 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 245 एवं 256 रकबा कमशः 1.24, 0.64 कुल रकबा 1.88 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय करने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राषि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3– उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।

पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर